रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05072022-237061
CG-DL-W-05072022-237061

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, जून 26— जुलाई 2, 2022, शनिवार/आषाढ़ 5—आषाढ़ 11, 1944
No. 23] NEW DELHI, JUNE 26—JULY 2, 2022, SATURDAY/ASADHA 5—ASADHA 11, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जून, 2022

सा.का.नि. 86.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (वर्ग-III) भर्ती नियम, 1975 को जहां तक उनका संबंद्ध अवर श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का बोध किया गया है गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, अवर श्रेणी लिपिक, भर्ती नियम, 2022 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अहर्ताएं, आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहर्ता.—** वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट अन्य रियायतों पर प्रभाव नही डालेंगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अवर श्रेणी लिपिक	18* (2022) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन-मैट्रिक्स के स्तर -2 (रु. 19,900-63,200/-)	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
आयु 18 और 27 वर्ष के बीच	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है। **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निश्चित की जाए। (जहां भर्ती, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जा रही हो वहां आयु सीमा अवधारित करने की तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी)।	विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति । या मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति । प्रत्येक शब्द के लिए 5 (की-डिप्रेशन) के औसत् पर 10500 केडीपीएच/9000 केडिपीएच समरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट ।		

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
(i) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । (ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में कार्यरत ऐसे समूह- ग कर्मचारियों में से भरी जाएंगी जिनके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का या उसके समकक्ष योग्यता है और जिन्होंने विभागीय अहर्ता परीक्षा के आधार पर उस स्तर पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1:** इस परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु-सीमा पैतालीस वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आयु पचास वर्ष) है। **टिप्पण 2:** यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में अहर्ता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी अधिक संख्या सब कर्मचारियों पर पश्चातवर्षों वर्षों से होने वाली रिक्तयों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्षा में अहर्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके। (iii) 5 प्रतिशत रिक्तियाँ को ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों से वरिष्ठता के आधार पर भरी जाएगी जिन्होंने वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-1 वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विखर करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- (i) सहायक निदेशक (प्रशासन), पुलिस अनुसंसाधन और विकास ब्यूरो -अध्यक्ष (ii) प्रशासनिक अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, पुलिस अनुसेधान विकास ब्यूरो - सदस्य (iii) महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो द्वारा नामनिर्दिष्ट एक राजपत्रित अधिकारी -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 23011/91/2022-बीपीआरएंडडी]

सुनील बरेजा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 22nd June, 2022

G.S.R. 86.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Bureau of Police Research and Development (class III posts) Recruitment Rules, 1975, in so far as they relate to the post of Lower Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely: —

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Bureau of Police Research and Development, Lower Division Clerk, Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.—**The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special

categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	**(2)**	**(3)**	(4)	**(5)**
Lower Division Clerk	18* (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19,900-63,200/-)	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Between 18 and 27 years of age (Upper age-limit relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).	(i) 12th class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University; (ii) a typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on Computer. Or a typing speed of 30 w.p.m. in English or 25 w.p.m. in Hindi on manual typewriter. **Note:** 35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word.	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption; level from which promotion or deputation / absorption to be made.
(10)	**(11)**
(i) 85 per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) 10 per cent. of the vacancies shall be filled from amongst the Group C Staff in the level-1 of the pay matrix (Rs. 18000 – 56900/-) and who possess 12th class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the level, on the basis of departmental qualifying examination. **Note 1:** The maximum age-limit for eligibility for examination is Forty Five years (Fifty years of age for the Schedule cast/ Schedule tribe). **Note 2:** If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier	As stated in column (10)

examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) 5 per cent. of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in posts with the level-1 of the pay matrix.	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :— (i) Assistant Director (Adm.), Bureau of Police Research and Development - Chairman (ii) Administrative Officer/Section Officer, Bureau of Police Research and Development – Member (iii) One Gazette officer to be nominated by the Director General, Bureau of Police Research and Development –Member.	Not applicable.

[F. No. 23011/91/2022-BPR&D]

SUNIL BAREJA, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 28 जून, 2022

सा.का.नि. 87.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (समूह 'क' और समूह 'ख' तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में समूह 'क' और समूह 'ख' तकनीकी पद (लेखा और आयकर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, समूह 'क' और समूह 'ख' पद तकनीकी पद (लेखा और आयकर) भर्ती नियम, 2022 कहा जाए।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स मे स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु, यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति .—जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**
(1)	(2)	(3)
1. तकनीकी सलाहकार (लेखा और आयकर)	01* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह, 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय ।

वेतनमान मैट्रिक्स में स्तर	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**	**सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(4)	(5)	(6)	(7)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 12 (रु.78800 – 209200)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही।	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियां में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (रु. 67700-208700) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डिग्री के साथ लेखा या लेखापरीक्षा अथवा आयकर के क्षेत्र में पर्यवेक्षी हैसियत में आठ वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण:- 1.** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है,साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । 2. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	लागू नही होता	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**
(1)	(2)	(3)
2. तकनीकी अधिकारी (लेखा और आयकर)	03* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह, 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय ।

वेतनमान मैट्रिक्स में स्तर	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**	**सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(4)	(5)	(6)	(7)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 11 (रु. 67700 – 208700)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही।	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियां में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (रु. 56100-177500) या स्तर 9 (रू. 53100-167800) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री के साथ लेखा या लेखा परीक्षा अथवा आयकर के क्षेत्र में पर्यवेक्षी हैसियत में पांच वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण:- 1**. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। 2. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी	लागू नही होता।	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक हैं।

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**
(1)	(2)	(3)
3. कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (लेखा और आयकर)	04* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।

वेतनमान मैट्रिक्स में स्तर	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**	**सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(4)	(5)	(6)	(7)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 07 (रु. 44900 – 142400)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही।	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियां में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (रु. 35400-112400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री के साथ लेखा या लेखा परीक्षा अथवा आयकर के क्षेत्र में पर्यवेक्षी हैसियत में दो वर्ष का अनुभव हो।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नही है।

टिप्पणः- 1. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। 2. प्रतिनियुक्ति (जिनके अतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष नहीं होगी।		

[फा. सं. 213/1/2015- ए.वी.डी. II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Departmental of Personnel and Training)

New Delhi, the 28th June, 2022

G.S.R. 87.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Bureau of Investigation (Group 'A' and Group 'B' Technical Posts) Recruitment Rules, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group ‘A’ and Group ‘B’ Technical Posts (Accounts and Income Tax) in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, in the Central Bureau of Investigation, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Central Bureau of Investigation, Group ‘A’ and Group ‘B’ Technical Posts (Accounts and Income Tax), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application. -** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix. -** The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.** - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Technical Advisor (Accounts and Income Tax).	*01(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 12 (Rs. 78800 – 209200) in the pay matrix.

Whether selection post or non- selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) possessing degree of a recognised University or institute with eight years experience in accounts or audit or income tax work in a supervisory capacity. **Note 1:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
2. T echnical Officer (Accounts and Income Tax).	*03 (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or statutory or autonomous organizations,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) or level 9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) possessing degree of a recognised University or institute with five years' experience in accounts or audit or income tax work in a supervisory capacity. **Note 1:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
3. Junior Technical Officer (Accounts and Income Tax).	*04 (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level six in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing degree of a recognised University or institute with two years' experience in accounts or audit or income tax work in a supervisory capacity. **Note 1:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 213/1/2015-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जून, 2022

सा.का.नि. 88.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान, आस्का (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक इनका संबंध रसोई परिचर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओडिशा में रसोई परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओडिशा, रसोई परिचर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ें वर्गो और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रसोई परिचर।	01* (2022) *कार्यभार के आधार	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000-56,900रु.)।	लागू नहीं होता।	*18 से 25 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए	**आवश्यक:-** किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं पास।

	पर परिवर्तन किया जा सकता है।				अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभाग के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष की आयु और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पैंतालिस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 1:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित कि गई है।) **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	**वाछँनीय :-** किसी अस्पताल या ख्यात संगठन में रसोई के कार्य का एक वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1:-** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों कि दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण:-** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :- (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ता रखते हो।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वें श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे .—** 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, आस्का - अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, आस्का - सदस्य 3. संबधित विशेषज्ञता से सहयोजित किया गया एक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं ए-12018/45/2018-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 21st June, 2022

G.S.R. 88.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Leprosy Training Institute, Aska (Group 'D' posts) recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Kitchen Attendant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Kitchen Attendant in the Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Odisha, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.–(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Odisha, Kitchen Attendant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification, - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kitchen Attendant	1* (2022) *(Subject to variation dependent on workload).	General, Central Service, Group-'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900).	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years of age. (Relaxable for departmental candidate up to forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the	**Essential:** 10th Class pass from a recognized Board. **Desirable:** One year experience of working in the kitchen of	Not applicable	Two years

instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date of determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Magahalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakhasdweep. **Note 2:** In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date of determining the age-limit shall be the last date up to which employment exchange is asked to submit the names.	any hospital or any reputed organisation. **Note 1:** Qualification is relaxable at the discretion of the competent authority in case candidate is otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment **Note:-** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under any other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from amongst officers of the Central Government,- (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of-** 1. Director – Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska -Chairman 2. Chief Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska –Member 3. One officer to be co-opted as a member from the concerned specialty –Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/45/2018-Lep.]

SHORAN SINGH Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जून, 2022

सा.का.नि. 89.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपट्टु (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1988 को जहां तक उनका संबंध मिक्सि मैन के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपट्टु, के मिक्सि मैन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चिंगलपट्टु, मिक्सि मैन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, **2022** है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।

2. पद-संख्या, **वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ **(2)** से **(4)** में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, **आयु-सीमा**, **अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ **(5)** से **(13)** में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
मिक्सि मैन	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63,200 रु.)।

चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1 :-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अदंमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2:-** ऐसे पदों के संबंध में जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/व्यवसायिक व्यापार में प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद का मशीनमिस्त्री का प्रमाण पत्र (राष्ट्रीय शिशु प्रमाणपत्र के साथ) और मशीनमिस्त्री के रुप में रबड़ उद्योग में तीन वर्ष अनुभव। **टिप्पण 1 :-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :-** अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति:- वेतन मैट्रिक्स-2 (19000-63200 रु.) में नियमित आधार पर किसी केन्द्रीय सरकारी संस्था में सदृश पद धारण किए हुए हो के साथ स्तंभ-7 में उल्लिखित अर्हता हो और मशीन मिस्त्री के रुप में रबड़ उद्योग में दो वर्ष का अनुभव; या स्तम्भ 7 में अर्हता के साथ वेतन मैट्रिक्स स्तर-1 (18000-56900 रु) में नियमित आधार पर किसी केन्द्रीय सरकारी संस्थान से सदृश पद धारण किए हुए हो के साथ स्तंभ (7) की अर्हताएं हों और क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी।)	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-** 1. अपर निदेशक केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चिंगलपट्टु - अध्यक्ष 2. उपनिदेशक (आर्थो) केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चिंगलपट्टु - सदस्य 3. सहायक निदेशक (शल्यक) केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चिंगलपट्टु - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चिंगलपट्टु - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/30/2019-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 21st June, 2022

G.S.R. 89.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1988, in so far as they relate to the post of Mixing Man, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Mixing Man, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Mixing Man, (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mixing Man.	01*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level–2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix.	Not applicable

Age- limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years. (relaxable up to 40 years in the case of departmental candidates in accordance with instructions or orders issued by Central Government) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, the Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	10th Standard pass from a recognised board. Industrial Training Institute /National Council for Training in the Vocational Trade Certificate of Machinist (along with National Apprentice Certificate) from a Government recognised Institute and three years experience in the rubber industry as a Machinist. **Note: 1.** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note: 2**. The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them.	Not applicable

Note 2 : In respect of posts, the appointment to which are made through the employment exchange the crucial date for determining the age limit shall, in each, case be the last date up to which the employment exchange are asked to submit the names.		

Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits.	Direct recruitment failing which by deputation	Deputation: holding analogous posts in any Central Government Institute on regular basis in level -2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix with the qualification mentioned in the column (7) and 2 years experience in a Rubber Industry as a Machinist. **or** holding analogous posts in any Central Government Institute on regular basis in level -1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix with the qualification in the column (7) and 5 years experience in the field. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of- 1. Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu – Chairman 2. Deputy Director(Ortho), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu -Member 3. Assistant Director(Surgical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member 4. Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/30/2019-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जून, 2022

सा. का. नि. 90.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान (समूह 'घ' पद) भर्ती नियमावली, 1978 को, जहां तक इसका संबंध रसोइया के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में रसोइया के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, रसोइया, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है ।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स का स्तर**	**चयन या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रसोइया	05*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1, (18,000-56,900/- रु.	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच* *अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले पद की दशा में यह 18 से 27 वर्ष के बीच होगा। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए

					सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है)। **टिप्पण 1:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2:-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**
(7)	(8)	(9)
आवश्यक अर्हताएँ 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण । 2. सरकार से किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से केटरिंग कोर्स (न्यूनतम एक वर्ष) सफलतापूर्वक पूरा किया हो । 3. संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:-** अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष । **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परीवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण लेना होगा ।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :- (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हों; (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।	लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1. अपर निदेशक (क्लीनिकल), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक (शल्य चिकित्सा), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य 3. सहायक नर्सिंग अधीक्षक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य 4. उस क्षेत्र में राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं.ए-12018/11/2020-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd June, 2022

G.S.R. 90.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the General Leprosy Training Research Institute (Group D Posts) Recruitment Rules, 1978, in so far as it relates to the post of Cook, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cook in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Cook (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cook	5* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 1 in the pay matrix (Rs.18000-56900).	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years of age. * In case of post being filled up by All India Open Competition, it would be between 18 years and 27 years. (Relaxable for departmental candidates upto forty years in case of general candidates and forty-five	Essential qualifications: 1. 10th class pass from a recognised Board. 2. Should have successfully completed the Catering Course (minimum one year) from a Government recognised Institute. 3. One year experience in the relevant field. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the	Not applicable	Two years. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by

years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2:** In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date of determining the age-limit shall be the last date up to which employment exchange is asked to submit the names.	competent authority in case of the candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		the Central Government.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government.-	Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of-** 1. Additional Director (Clinical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu – Chairman 2. Assistant Director (Surgical), Central Leprosy Teaching	No Applicable.

(a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).		and Research Institute, Chengalpattu - Member 3. Assistant Nursing Superintendent, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member 4. A Gazetted Officer from another State Government or the Central Government Office in the area - Member.	

[F. No . A-12018/11/2020-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जून 2022

सा.का.नि. 91.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध कर्मशाला सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, में कर्मशाला सहयक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, कर्मशाला सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता – ऐसा व्यक्ति –**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद या अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कर्मशाला सहयक	2 (दो) (2022)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपित्रत (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर – 2 (19900-63200 रुपए)	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए आयु-सीमा।	**सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक तथा अनसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की सकती है l) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पिति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किये जाने वाले पद के सबंध में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय को नामो को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी स्थापित कर्मशाला में वाहन या नलकूप उपस्करों आदि की मरम्मत और सर्विसिंग में दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा**
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित**
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :- 1. अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान – अध्यक्ष 2. निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान द्वारा नामित समूह 'क' का एक अधिकारी - सदस्य 3. स्वच्छता इंजीनियरी का प्रोफेसर - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए- 60011/07/2018-एमई/प्रशि.]

राजीव कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd June, 2022

G.S.R. 91.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (Group 'C') Recruitment Rules, 1990, in so far as it relates to the post of Workshop Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Workshop Assistant in the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata, namely:-

1. **Short title and commencement.- (1)** These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata, Workshop Assistant (Group ‘C’ post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–** No person,-

a. who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living, or

b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Workshop Assistant	2 (two) 2022)* *Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted Non-Ministerial	Level-2 in the Pay Matrix (Rs.19900-63200)

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Between 18 and 27 years of age (Relaxable for departmental candidate up to forty years in case of general candidates and upto the age of forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the central Government). **Note1**: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, and the Union Territories of J&K, Ladakh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In respect of post the appointment to which is made through the employment exchanges the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the employment exchanges are asked to submit the names.	1. 10^{th} class pass from a recognized Board. 2. Two year experience in repairing and servicing of vehicle or tube-well equipments etc from an established Workshop. **Note 1:** the qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in case candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes category if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two Years	100 per cent by direct recruitment	Not applicable

<table>
<tr><td>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.</td><td>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.</td></tr>
<tr><td>(12)</td><td>(13)</td></tr>
<tr><td>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-
1. Additional Director – All India Institute of Hygiene and Public Health - Chairman
2. One Group ‘A’ officer to be nominated by the Director, All India Institute of Hygiene and Public Health –Member
3. Professor of Sanitary Engineering -Member
4. Administrative Officer -Member.</td><td>Not Applicable.</td></tr>
</table>

[F. No. A- 60011/07/2018-ME/Trg.]

RAJEEV KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.07.05 17:03:43 +05'30'